

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
अपर सचिव।

स्मार पत्र

सेवा में,

मुख्य अभियंता (उत्तर/दक्षिण/पटना),
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:-.....

विषय:- स्थल अनुपलब्धता के कारण पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्यों को डिस्कोप/सरेंडर करने के संबंध में (स्मार पत्र-1)।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-3105 दिनांक-01.04.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा आपको स्थल अनुपलब्धता के कारण डिस्कोप/सरेंडर किये जाने हेतु पंचायत सरकार भवनों की समेकित सूची अनुशंसा के साथ अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना को उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया था। जिसके आलोक में केवल मुख्य अभियंता (पटना), भवन निर्माण विभाग, पटना के अनुशंसा के साथ समेकित सूची प्राप्त हुई है। मुख्य अभियंता (दक्षिण) एवं मुख्य अभियंता (उत्तर), भवन निर्माण विभाग, पटना की समेकित सूची अभी तक अप्राप्त है।

अतः आपको पुनः निदेश दिया जाता है कि शीघ्रातिशीघ्र सभी अंचलों से सूचना प्राप्त कर के अपनी अनुशंसा के साथ समेकित सूची उपलब्ध करायी जायी ताकि योजनाओं को डिस्कोप/सरेंडर करने हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन

ह0/-

(राजेश कुमार सिंह)

अपर सचिव

ज्ञापांक-

पटना/दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-सभी अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक- 4717 (A)

पटना/दिनांक-..... 27/5/26

प्रतिलिपि:-आई टी मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव